पंजीकरण एवं मुद्रांक विभाग में दस्तावेजों के पंजीकरण हेतु मद आधारित चालान बनाने की प्रक्रिया

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए जमा कराये जाने वाले भुगतान के लिए राज्य सरकार द्वारा ई–ग्रास की सुविधा प्रदान की गई है। इसके लिए सर्वप्रथम सिटीजन को ई–ग्रास पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। उसके पश्चात सिटीजन को विभाग(पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग) का चयन करना है । उसके पश्चात उसे जिस मद में राशि जमा करानी है उसका चयन करना होता है।

ई–ग्रास चालान द्वारा पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में ऑनलाईन चालान जमा करवाने हेतु विभिन्न प्रकार के मद दिये गये है जिनमें सिटीजन द्वारा राशि जमा करवाई जाती है। इन सभी मदों का विवरण नीचे दिया गया।

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में मूल रूप से निम्न मदों में राशि जमा करवाने का प्रावधान ऑनलाईन पोर्टल पर दिया गया है। जिसे नीचे चार्ट के माध्यम से बताया गया है।

1- **E-gras Challan Creation For Registration & Stamps**

1.1) Document Registration:- सिटीजन द्वारा दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए मुद्रांक कर एवं विभिन्न सरचार्ज का भुगतान इस मद द्वारा किया जाता है।

1.2) Recovery:- सिटीजन द्वारा पंजीकृत दस्तावेजों में किसी कारणवश कोई मुद्रांक कर एवं सरचार्ज आदि में कमी रह जाती है। तो उसे इस मद के माध्यम से जमा करवाई जाती है।

1.3) Additional Stamp Duty:- सिटीजन द्वारा दस्तावेजों के पंजीकरण के समय अगर अतिरिक्त राशि जमा करवाने की आवश्यकता हो तो उसे इस मद द्वारा जमा करवाया जाता है।

निम्नलिखित मदों में से आवश्यकतानुसार ई–ग्रास चालान द्वारा राशि जमा करवाई जाती है।

1) 0030.02.103.01.00 दस्तावेजो के मुद्रांकन/कमी मुद्रांक हेतु प्राप्त आय

2) 0030.02.800.02.00 स्टाम्प शुल्क पर अधिभार

3) 0030.02.800.03.00 स्टाम्प शुल्क पर गो संवर्धन/संरक्षण हेतु अधिभार

4) 0030.02.800.04.00 प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओ से राहत हेतु अधिभार

5) 0030.03.104.01.00 पंजीकरण शुल्क से प्राप्ति

6) 0030.03.800.01.00 अन्य प्राप्तियां

2- Stamp Vender:- स्टॉम्प वेण्डर द्वारा भौतिक स्टॉम्पों की खरीद बिक्री के लिए इस मद का उपयोग किया जाता है। इसमें दो प्रकार के स्टॉम्प उपयोग किये जाते है।

a) Judicial Stamp:- स्टॉम्पो की बिक्री के मद का उपयोग किया जाता है।

1) 0030.01.102.01.00 स्टाम्पो की बिक्री

b) Non Judicial Stamp:- अन्य सभी प्रकार के स्टॉम्प इसके अन्तर्गत लिए जाते है।

1) 0030.02.102.02.00 अन्य गैर अदालती स्टाम्प की बिक्री से आय

2) 0030.02.800.02.00 स्टाम्प शुल्क पर अधिभार

3) 0030.02.800.03.00 स्टाम्प शुल्क पर गो संवर्धन/संरक्षण हेतु अधिभार

4) 0030.02.800.04.00 प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओ से राहत हेतु अधिभार

5) 0030.02.102.03.00 अन्य स्टाम्प (एडहेसिव) की बिक्री से आय

3- Land Tax:- भूमि कर से प्राप्त होने वाली राशि के चालान बनाने के लिए इस मद का उपयोग किया जाता है। इसमें भूमिकर एवं ब्याज/शास्ति से प्राप्त होने वाली राशि का चालान बनाया जाता है।

1) 0035.00.800.01.01 भूमि कर से प्राप्तियां

2) 0035.00.800.01.02 ब्याज एवं शास्तियों से प्राप्तियां

4- Other Department:- पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के अलावा निम्नलिखित विभागों में भी ई–ग्रास चालान का उपयोग पंजीयन एवं मुद्रांक में किया जाता है।

3.1)Bank Guarantee
3.2) RTO
3.3) PWD Tender
3.4) Others

1) 0030-02-103-01-00 दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क लगाना

(2) 0030-02-800-02-00 स्टाम्प शुल्क पर अधिभार

(3) 0030-02-800-03-00 स्टाम्प शुल्क पर गो संवर्धन/संरक्षण हेतु अधिभार

(4) 0030-02-800-04-00 प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओ से राहत हेतु अधिभार

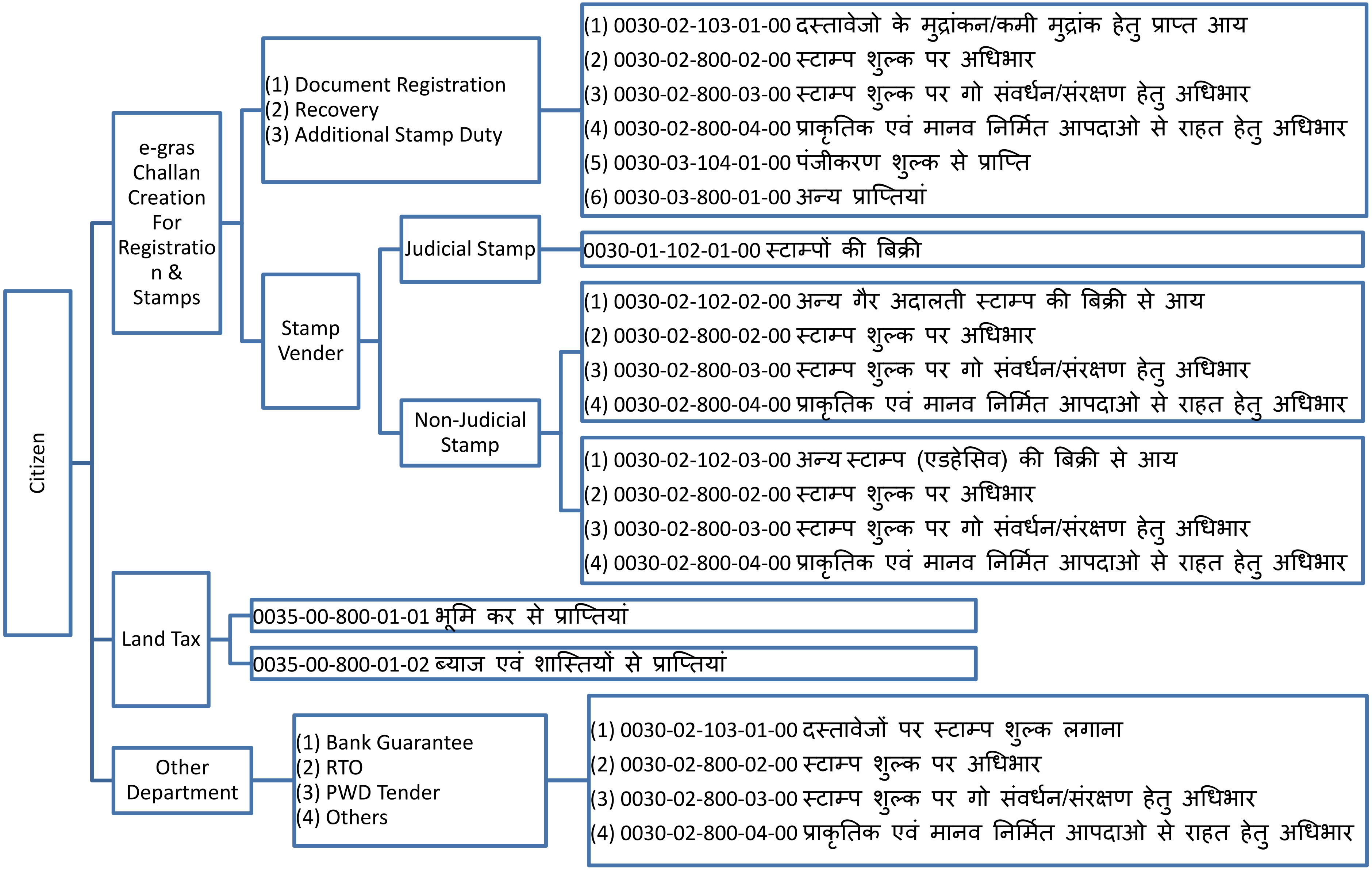
Citizen
e-gras Challan Creation For Registration & Stamps
(1) Document Registration
(2) Recovery
(3) Additional Stamp Duty
(1) 0030-02-103-01-00 दस्तावेजो के मुद्रांकन/कमी मुद्रांक हेतु प्राप्त आय
(2) 0030-02-800-02-00 स्टाम्प शुल्क पर अधिभार
(3) 0030-02-800-03-00 स्टाम्प शुल्क पर गो संवर्धन/संरक्षण हेतु अधिभार
(4) 0030-02-800-04-00 प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओ से राहत हेतु अधिभार
(5) 0030-03-104-01-00 पंजीकरण शुल्क से प्राप्ति
(6) 0030-03-800-01-00 अन्य प्राप्तियां
Stamp Vender
Judicial Stamp
0030-01-102-01-00 स्टाम्पों की बिक्री
Non-Judicial Stamp
(1) 0030-02-102-02-00 अन्य गैर अदालती स्टाम्प की बिक्री से आय
(2) 0030-02-800-02-00 स्टाम्प शुल्क पर अधिभार
(3) 0030-02-800-03-00 स्टाम्प शुल्क पर गो संवर्धन/संरक्षण हेतु अधिभार
(4) 0030-02-800-04-00 प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओ से राहत हेतु अधिभार
(1) 0030-02-102-03-00 अन्य स्टाम्प (एडहेसिव) की बिक्री से आय
(2) 0030-02-800-02-00 स्टाम्प शुल्क पर अधिभार
(3) 0030-02-800-03-00 स्टाम्प शुल्क पर गो संवर्धन/संरक्षण हेतु अधिभार
(4) 0030-02-800-04-00 प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओ से राहत हेतु अधिभार
Land Tax
0035-00-800-01-01 भूमि कर से प्राप्तियां
0035-00-800-01-02 ब्याज एवं शास्तियों से प्राप्तियां
Other Department
(1) Bank Guarantee
(2) RTO
(3) PWD Tender
(4) Others
(1) 0030-02-103-01-00 दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क लगाना
(2) 0030-02-800-02-00 स्टाम्प शुल्क पर अधिभार
(3) 0030-02-800-03-00 स्टाम्प शुल्क पर गो संवर्धन/संरक्षण हेतु अधिभार
(4) 0030-02-800-04-00 प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओ से राहत हेतु अधिभार